

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 33/2022

तारीख दायर 24.3.2022

घीसी बाई पुत्री इब्राहीम पत्नि मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

प्रकाश चन्द पुत्र प्यारचन्द जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 24.3.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 160 पर अंकित आराजी संख्या 1985/608 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1986/608 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाली भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की तार्इद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 160 पर अंकित आराजी संख्या 1985/608 रकबा 0.0890 हैक्टेयर, आराजी संख्या 1986/608 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.1376 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय वाली भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलिया